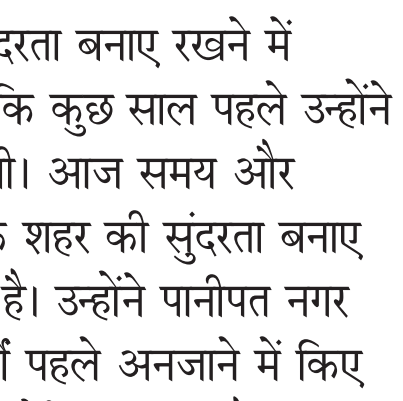
एक नजर

आर्य कालेज की वालीबॉल टीम ने रचा इतिहास, इंटर जोनल टूर्नामेंट में जीता स्वर्ण पदक



पानीपत/कौशिक : आर्य पीजी कालेज की पुरुष वॉलीबॉल टीम ने अपनी खेल प्रतिभा और उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा 27 से 29 अक्टूबर तक आयोजित इण्टर जोनल पुरुष वॉलीबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक हासिल कर कॉलेज और जिले का नाम रोशन किया है। आर्य कॉलेज प्रबन्ध समिति के उपाध्यक्ष वीरेंद्र शिंगला ने कहा कि हमारे विद्यार्थियों ने खेल भावना और अनुशासन का अद्भुत परिचय दिया है। आर्य कॉलेज हमेशा से ही शिक्षा के साथ-साथ खेलों में भी श्रेष्ठता को बढ़ावा देता रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की टीम में शामिल होकर हमारे खिलाड़ी आगे भी नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। प्राचार्य प्रो.डा. जगदीश गुप्ता ने बताया कि आर्य कॉलेज की टीम ने शुरुआती मैच में गुरु नानक खालसा कॉलेज, यमुनानगर को 3-0 के अंतर से हराकर लीग चरण के लिए क्वालीफाई किया। इसके बाद टीम ने अपने विजयी अभियान को जारी रखते हुए। पहले मैच में जनता कॉलेज, कौल को 3-0 से हराया। दूसरे मैच में दयाल सिंह कॉलेज, करनाल को 3-1 से शिकस्त दी। वहीं फाइनल मुकाबले में एक कड़े व संघर्षपूर्ण मैच में पिछली बार की चैंपियन टीम डीएवी कॉलेज, करनाल को 3-1 से पराजित कर ऐतिहासिक खिताब अपने नाम किया। उन्होंने बताया कि टीम की इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही कॉलेज के 9 प्रतिभावान खिलाडियों में अंकुर, योगेश, अभिराज राजपूत, हर्ष नागर, मृत्युंजय, रजत सिंह, उमेद सिंह, मंजीत राणा व रजनीश सिंह का चयन केयूके की संभावित टीम के कोचिंग कैंप के लिए हुआ है। डा. अनुराधा सिंह उपाचार्या ने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। कालेज की पुरुष वालीबाल टीम की यह जीत अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी।

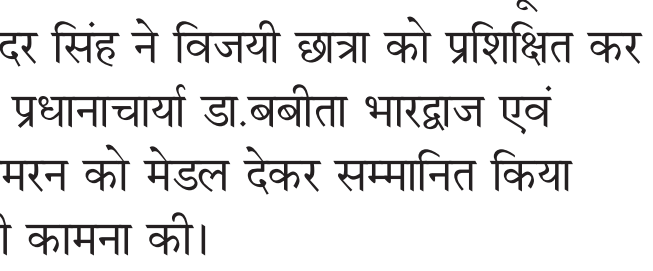
शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की राजीव परूथी ने की अपील



पानीपत/कौशिक : शहर की सुंदरता और स्वच्छता को बनाए रखने के उद्देश्य से पीसीसी के निदेशक राजीव परूथी ने एक सराहनीय पहल की है। उन्होंने शहर की विभिन्न दीवारों पर कई साल पहले करवाई गई पेंटिंग को हटवाने की पहल करते हुए पानीपत के नागरिकों, शिक्षण संस्थानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से शहर की सुंदरता बनाए रखने में सहयोग की अपील की। राजीव परूथी ने कहा कि कुछ साल पहले उन्होंने भी पानीपत की कुछ दीवारों पर पेंटिंग करवाई थी। आज समय और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें महसूस हुआ कि शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए ऐसी पेंटिंग को हटाना आवश्यक है। उन्होंने पानीपत नगर निगम एवं जिला प्रशासन से अपील की कि वर्षो पहले अनजाने में किए गए इस कार्य के लिए उन्हें माफ किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं पानीपत के सभी शिक्षण संस्थानों एवं व्यापारियों से हाथ अपील करता हूं कि शहर की दीवारों को पेंट करके गंदा न करें। राजीव परूथी ने कहा कि आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार-प्रसार का दौर है। ऐसे में प्रचार के लिए सार्वजनिक दीवारों को खराब करना उचित नहीं है। हमें अपने शहर की सुंदरता, स्वच्छता और पहचान को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस मौके पर पीसीसी के विद्यार्थियों ने शहरवासियों से अपील की कि वे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। दीवारों को साफ रखें और पानीपत को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

एमएएसडी स्कूल ने 19वीं राष्ट्रीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में मारी बाजी

पानीपत/कौशिक : स्थानीय एमएएसडी पब्लिक स्कूल की छात्रा सिमरन ने नो.गी इवेंट में सिल्वर मैडल एवं मलयुद्ध में गोल्ड मेडल प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता को वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम हरिद्वार में आयोजित किया गया था। स्कूल खेल कूद विभाग के अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने विजयी छात्रा को प्रशिक्षित कर उसका मार्गदर्शन किया। स्कूल प्रधानाचार्या डा.बबीता भारद्वाज एवं अध्यापकों ने विजयी छात्रा सिमरन को मेडल देकर सम्मानित किया और उसके उज्वल भविष्य की कामना की।



ओबीसी रोडवेज कर्मचारी महासभा के राज्य चेयरमैन राजेंद्र स्वामी को दी विदाई

पानीपत/कौशिक : ओबीसी रोडवेज कर्मचारी महासभा हरियाणा के राज्य चेयरमैन राजेंद्र स्वामी की सेवानिवृत्ति पर पानीपत डिपो में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसमें सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लेकर उन्हें फूलमालाओंए गुलदस्तों और उपहारों से सम्मानित किया। राज्य प्रधान सुभाष योगी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने उन्हें गदा भेंट कर पगड़ी पहनाकर और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। राज्य महासचिव रामनिवास पांचाल ने बताया कि राजेंद्र स्वामी ने 7 जुलाई 1999 को करनाल डिपो में चालक के पद पर कार्यभार संभाला था। बाद में उनका तबादला पानीपत डिपो में हो गया। उन्होंने ईमानदारी और मेहनत से सेवाएं देते हुए कर्मचारियों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उनके योगदान और मिलनसार स्वभाव की सभी ने सराहना की। समारोह में राज्य वरिष्ठ प्रधान जितेंद्र सेन, प्रेस प्रवक्ता अशोक पांचाल, मुख्तार सिंह दांगी, दिनेश सैनी, नरेंद्र कुमार प्रजापति, नागेंद्र, सुरेश प्रजापत, मोहन लाल रोहिल्ला, नीरज सैनी, संजय कुमार, सुनील कुमार, जयवीर जांगड़ा, वीरेंद्र वर्मा, प्रमोद सेन, वेदपाल, हनुमान जांगड़ा, जितेंद्र कश्यप व सुभाष स्वामी मौजूद रहे।



न्यू सीमापुरी भवन हादसे की होगी मजिस्ट्रेट जांच

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क



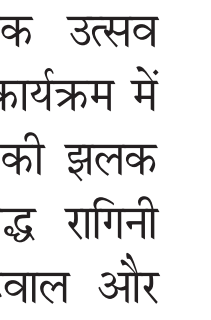
नई दिल्ली : दिल्ली के गृह एवं शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने न्यू सीमापुरी में इस महीने की शुरुआत में इमारत गिरने से हुई घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें चार लोगों की जान चली गई थी। इस संबंध में एक अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी दी। अधिकारी ने एक बयान में कहा कि जांच का नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर-पूर्व) करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जांच में सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों की लापरवाही की भी जांच की जाएगी और दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मंत्री सूद ने कहा, यह एक बेहद दुखद घटना है, जिसमें कई अनमोल जानें चली गईं। हमने इस हादसे के हर पहलू की जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है। किसी भी दोषी या लापरवाह अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी तत्काल प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करना है, और हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य संरचनात्मक सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करना है ताकि दिल्ली में ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो। दिल्ली के न्यू सीमापुरी में 7 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे एक पांच मंजिला आवासीय इमारत ढह गई। आस-पास की तीन इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने उन्हें असुरक्षित घोषित कर दिया और खाली करा लिया गया। शुरुआती स्थानीय जांच से पता चलता है कि पास के एक अनधिकृत निर्माण स्थल पर भारी, कंपन पैदा करने वाली मशीनों से किए जा रहे विध्वंस कार्य के कारण यह इमारत गिरी। आसपास के आवासीय भवन भी छोटे भूखंडों पर उचित स्तंभों या बीमों के बिना कमजोर ढंग से निर्मित पाए गए हैं। सूद ने कहा कि इमारत गिरने की मजिस्ट्रियल जांच को इसके सटीक तथ्यों, परिस्थितियों और मूल कारणों का पता लगाने का अधिकार है। यह जांच मालिकों, किरायेदारों या निजी व्यक्तियों द्वारा कानूनों, भवन नियमों और सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघन की पहचान करेगी और सरकारी विभागों, नागरिक एजेंसियों और उनके अधिकारियों की ओर से हुई लापरवाही की जांच करके जवाबदेही तय करेगी।

मंत्री सूद ने कहा कि जांच में सभी दोषी व्यक्तियों, एजेंसियों या अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की जांच करते हुए भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए स्थायी निवारक उपायों का सुझाव दिया जाएगा।

हरियाणा दिवस पर किसान भवन में सजेगी रागनी और हरियाणवी डांस की महफिल

वीरेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क



पानीपत/कौशिक : हरियाणवी लोक कला एवं संस्कृति के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से दादा लख्मीचंद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, पानीपत तथा हरियाणा कला परिषद, रोहतक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में कल किसान भवन, पानीपत में हरियाणा दिवस सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में हरियाणवी लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। प्रसिद्ध रागिनी गायिका प्रीति चौधरी लटवाल और पारुल डांस ग्रुप अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में हरियाणा कला परिषद, रोहतक मंडल के अतिरिक्त निदेशक एवं प्रसिद्ध कलाकार गगन हरियाणवी विशेष रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा पानीपत की महापौर कोमल सैनी, जिला परिषद चेयरपर्सन ज्योति शर्मा, गजेंद्र सलूजा, जगबीर आर्य, राजेश शर्मा, नवीन गर्ग, विजय जैन, रमेश शर्मा, सुभाष सिंगला, एडवोकेट वीरेंद्र मलिक और धर्मवीर पाड़ा सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। नैना शर्मा के सानिध्य में अजीत अहलावत, प्रियंका रावत, रेनू सैनी, ज्योति डागर, सुनीता सिवाच और मालती अरोड़ा सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में शिरकत करेंगे। ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा दिवस प्रदेश की समृद्ध लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान का अवसर है। उन्होंने शहरवासियों और कला प्रेमियों से कार्यक्रम में पहुंचकर कलाकारों का उत्साहवर्धन करने की अपील की।

पंचायत मंत्री के आवास पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का चेतावनी प्रदर्शन

पानीपत/कौशिक : ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने आज पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार के मतलौडा स्थित आवास पर एक दिवसीय चेतावनी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बसाऊराम ने की और संचालन उपमहासचिव देवी राम ने किया। यूनियन नेताओं ने बताया कि 29 मई को पंचायत मंत्री की अध्यक्षता में हुई। वार्ता में 17 मांगों पर सहमति बनी थी। इनमें से 12 मांगों के पत्र 10 सितंबर को जारी हो चुके हैं, जबकि पांच मांगें लंबित हैं। इनमें सुपरवाइजर नियुक्ति, अनाज खरीदने के लिए 24 हजार रुपये अग्रिम राशि, पंजीकृत यूनियन पदाधिकारियों के नाम दर्ज करने, तीन लाख रुपये सेवानिवृत्ति लाभ और पुलिस की तर्ज पर बीमा कवरेज शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान एसडीएम नवदीप सिंह ने बताया कि मंत्री के साथ बातचीत के बाद 31 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में यूनियन प्रतिनिधिमंडल की वार्ता तय हुई है।

गोकुलपुरी डकैती मामले में 3 गिरफ्तार

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में हुई लूट के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक ऐसा स्थानीय बदमाश भी शामिल है, जिस पर पहले से ही 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से एक चोरी का मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। यह घटना 28 अक्टूबर की है। शिकायतकर्ता, 27 वर्षीय अभिषेक, सुबह करीब 8 बजे भागीरथी विहार की गली नंबर 13 के पास अपनी गाड़ी पर कचरा इकट्ठा कर रहा था। शिकायत के अनुसार, तीन अज्ञात लोगों ने उसे रोका, उसका मोबाइल फोन छीना और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गोकुलपुरी थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 309(4) और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज के आधार पर, पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्धों की पहचान की। इसके बाद टीम ने उनके संभावित ठिकानों पर कई जगह छापेमारी की और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया।

दिल्ली में कल से वाहनों की एंट्री पर नई पाबंदियां

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों के प्रवेश को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत लागू होने वाली ये पाबंदियां 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी। नए नियमों के अनुसार, दिल्ली में केवल निर्धारित उत्सर्जन मानकों पर खरे उतरने वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि दिल्ली की यात्रा करने से पहले अपने वाहन की पात्रता और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) की वैधता जरूर जांच लें।

इसके अलावा, दिल्ली से होकर दूसरे राज्यों में जाने वाले गैर-जरूरी ट्रकों को राजधानी में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे ट्रकों को पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के रास्ते अपने गंतव्य तक जाना होगा। नई व्यवस्था के तहत बीएस-6 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के अलावा सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके साथ ही नियमों के तहत छूट प्राप्त आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को भी प्रवेश दिया जाएगा। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।

Classified

I hitherto known as SHASHI SHANKAR SINGH S/O KRISHNA BIHARI SINGH R/O Aerora, dularpur, Bankat, PO - Kasap, DIST - Bhojpur, Bihar - 802206, have changed my name and shall hereafter be known as VISHNU SHANKAR SINGH.

It is for general information that I, SHIV KUMAR S/O SOM NATH R/O 1/50 GEETA colony, Geeta Colony, East Delhi, Delhi 110031, declare that name of mine and my father has been wrongly written as SHIV KUMAR and SOM NATH in my Aadhar Card No.820176738421 . The actual name of mine and my father is SHIV SHAHNI and SOM NATH SHAHNI which may be amended accordingly.

It is for general information that I, LALIT KUMAR TIWARI S/O MADHWA NAND TIWARI R/O H.NO-226, GALI NO-10, BLOCK-A BABA COLONY, SANT NAGAR BURARI, DELHI - 110084, declare that name of my son has been wrongly written as MANAN in my minor son Namely MANAN, aged 13 years old in his School Record. The actual name of my son is MANAN TIWARI which may be amended accordingly.

I hitherto known as MO NIYABUDDIN SEFI S/O MO YUSUF R/O A-383 Part 3, Gali N0-12, 0 Pusta, Sonia Vihar, Sabhapur, North East Delhi - 110094, have changed my name and shall hereafter be known as NAYABUDDIN.

It is for general information that I, BISHNI THAPA W/O Late. BISHAN SINGH R/O W/O 4514, Gali Jatan Pahari dhiraj, Sadar Bazar, VTC Delhi G.P.O., PO- Delhi G.P.O., District- North Delhi, State: Delhi- 110006, declare that name of mine has been wrongly written as SMT BISHNI PRADHAN in my husband PPO No-219198700296. The actual name of mine is BISHNI THAPA, which may be amended accordingly.

I hitherto known as SAVITA DEVI GUPTA W/O K K KHANDELWAL R/O H.NO.-D-153 Gali N0.-6 Near himgiri properties. Laxmi Nagar Shakarpur East Delhi, Delhi 110092, have changed my name and shall hereafter be known as SAVITA KHANDELWAL.

I hitherto known as HARSHWAROOP S/O SATPAL R/O Sector - 18, Sarhol (70), Gurgaon, Sarhaul, Haryana, 122015, have changed my name and shall hereafter be known as HARSHWAROOP YADAV. **(Anil 4343)**

ऋण वसूली न्यायाधिकरण– I, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

TA NO. 1792/2022

बैंक ऑफ बड़ौदा ....आवेदक

बनाम

मैसर्स शिवाय एंटरप्राइजेज .....प्रतिवादी

सेवा में,

(1) मैसर्स शिवाय एंटरप्राइजेज, अपने प्रोप्राइटर के माध्यम से जी.एफ.– 38/2/28, साइट–IV, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201005

(2) श्रीमती लेखा जैन ए–803, 8वीं मंजिल, अहिंसा वाटिका, लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली – 110032

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध **₹ 41,11,890.39/– (इकतालीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ नब्बे रुपये और उनतालीस पैसे मात्र)** की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना देना संभव नहीं है, इसलिए यह सूचना विज्ञापन के माध्यम से दी गई है, आपको **दिनांक 01.03.2027** को **माननीय रजिस्ट्रार** के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया **डीआरटी की वेबसाइट www.tribunal.gov.in** देखें **फोनः 011-23748473).**

कृपया ध्यान दें कि यदि आप उपर्युक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो मामले की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

(i) सभी संबंधित व्यक्ति अपने मामलों में हाइब्रिड मोड (न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर या **सिस्को वेबेक्स वीसी लिंक** के माध्यम) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं।

(ii) वीसी के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति के लिए सभी अधिवक्ता/वादीगण **सिस्को वेबेक्स एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर** डाउनलोड करेंगे

(iii) माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी–।/और वसूली अधिकारी–।। द्वारा लिए जाने वाले मामलों की सुनवाई की अगली तिथि के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" अगली तिथि से एक दिन पहले डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल अर्थात् "drt.gov.in" पर सार्वजनिक सूचना शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध होंगे।

(IV) किसी भी आपात स्थिति में, अधिवक्ता/वादी संबंधित अधिकारी से फोन नंबर **23748473** पर संपर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **14 अक्टूबर, 2026** को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार,

Bandhan Bank | रीजनल ऑफिस: नेताजी मार्ग, मीठाखली छः रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोन : +91-79-26421671-75

सांकेतिक आधिपत्य (कब्जा) सूचना

एतदर्थ सूचना दी जाती है कि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 कि धारा 13(12) एवं प्रतिभूतिहित प्रर्वतन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढते हुए अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत प्राधिकृत अधिकारी ने खाते(अकाउंट) के सामने उल्लेखित तिथि को डिमांड नोटिस (मांग पत्र) भेजा था व नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर राशि की मांग की गई थी। ऋणी द्वारा भुगतान करने में असफल रहने पर कर्जदार और आम जनता को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम कि धारा 13 की उपधारा(4) सपठित नियम 8 के तहत नीचे लिखे लोन खातों में वर्णित बंधक सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। अतः आप कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्तियों के बारे में कोई व्यवहार न करें और इन संपत्तियों के साथ किसी व्यवहार पर वह राशि, ब्याज, खर्च एवं शुल्क के साथ बैंक को चुकाना होगा। सुरक्षित सम्पत्ति को रिडीम/वापस लेने के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) में उपलब्ध प्रावधानों के तहत ऋणियों का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

ऋणियों के नाम, गेरन्टर और ऋण खाता सं.	बंधक संपत्ति का विवरण (प्रतिभूती आस्तियां)	मांगपत्र की तिथि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	कुल बकाया राशि, मांगपत्र की तारीख तक
श्री सरफराज श्रीमती मकसूदन श्री कमरुद्दीन, पुत्र अब्दुल गफूर 20003340000152	सभी चल और अचल संपत्ति, जो खसरा नंबर 622, ज़मीन का क्षेत्रफल 86.68 वर्ग मीटर और सुपर बिल्ट-अप एरिया 77.1 वर्ग मीटर डीड नंबर 6797, दिनांक 09.08.2017, मोहल्ला–मलिक नगर, गाँव–सरना मुरादनगर, परगना–जलालाबाद, तहसील–मोदीनगर, जिला–गाजियाबाद, राज्य–उत्तर प्रदेश, पिन–201206 अब्दुल गफूर के पुत्र श्री कमरुद्दीन के स्वामित्व में स्थित है: उत्तर: 15 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व: रिज़वान का प्लॉट, पश्चिम: मंज़ूर का प्लॉट, दक्षिण: इरशाद का प्लॉट	अप्रैल 15, 2026	अक्टूबर 27, 2026	रु.13,63,614.91

स्थानः गाजियाबाद
तारीखः अक्टूबर 31, 2026

प्राधिकृत अधिकारी
बंधन बैंक लिमिटेड

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank | **शाखा कार्यालय :** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर 23, शाल टॉवर, तीसरी मंजिल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली– 110005

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्ज़दार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।

कर्ज़दार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक कब्ज़ा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	आकाश बेदी/चंचल वेदी/ LBNOD00004087778	फ्लैट नंबर 2808, 28वीं मंजिल, ए/ नोवा ईस्ट टॉवर, सुपरनोवा, प्लॉट नंबर 03, सेक्टर 94, नोएडा पर स्थित, उत्तर प्रदेश - 201301/ अक्टूबर 29, 2026	21 जुलाई, 2026 रु. 2,96,51,425.41/-	दिल्ली एनसीआर
2.	अनिल कुमार चौधरी/ आशा कुमारी/ LBDEL00003457175	फ्लैट नंबर 2105, 21वीं मंजिल, मैरियट टॉवर, अर्बटेक ज़ेवियर्स, प्लॉट नंबर जीएच-01/बी, सेक्टर 168, नोएडा पर स्थित, उत्तर प्रदेश- 201301/ अक्टूबर 29, 2026	28 जुलाई, 2026 रु. 22,91,027.00/-	दिल्ली एनसीआर

उपरोक्त कर्ज़दार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(याँ) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी।

दिनांक : अक्टूबर 31, 2026,
स्थान : दिल्ली/एनसीआर

भवदीय, प्राधिकृत अधिकारी,
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

UNITY | **यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**
5वीं मंजिल, टॉवर 1, सीवुड्स ग्रैंड सेंट्रल, सेक्टर-40, सीवुड्स, सीवुड्स दरावे के ऊपर रेलवे स्टेशन, नवी मुंबई-400 706

कब्जा सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (इसके बाद 'यूएसएफबीएल' के रूप में जाना जाता है) का अधिकृत अधिकारी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंजिल, टॉवर 1, सीवुड्स ग्रैंड सेंट्रल, सेक्टर -40, सीवुड्स, सीवुड्स दारावे रेलवे स्टेशन के ऊपर, नवी मुंबई - 400 706 में वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नीचे उल्लिखित डिमांड नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उधारकर्ता होने के नाते आपसे उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। नीचे उल्लिखित उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सामान्य रूप से जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा। सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. नं.	उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम	अचल संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है	डिमांड नोटिस की की तिथि एवं रकम	कब्जे की तिथि
1	**ऋण खाता. नंबर(ओं).: USFBDELLOAN 000005015300 & CFSLDELLOAN 000005001311** **1. स्वर्गीय मनोज त्यागी** पुत्र मंगु त्यागी उर्फ मंगु सिंह त्यागी (इसके सभी परिचित/अपरिचित कानूनी वारिसों के माध्यम से) **2. श्रीमती प्रीति उर्फ प्रीती जे** पत्नी स्वर्गीय मनोज कुमार **क्रमांक 1 के लिए पता:** खसरा नं. 327 अजान पुर मंगावली मंगावली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201226, **इसके अलावा:** गांव काकड़ा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201206, **क्रमांक 2 के लिए पता:** खसरा नं. 327 अजान पुर मंगावली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201226, **इसके अलावा:** सी-142 नांगलोई वंदना विहार, निलोथी, वैस्ट दिल्ली-110041	सम्पत्ति के सभी पीस एवं पार्सल खाली प्लाट माप 204.92 वर्ग गज/वर्ग मीटर 171.33 बेयरिंग साथ में खसरा नं. 327मिन का भाग, गांव अजबपुर मंगावली, राधा कुंज कालोनी, परगना जलाबाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201206 इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं:- **उत्तर**- 14 फीट चौड़ा रोड 55 फीट 7 इंच, **पूर्व**- सरिता शर्मा का प्लाट 33 फीट 10 इंच, **दक्षिण**- शर्माजी का प्लाट 47 फीट 10 इंच, **पश्चिम**- एनटीपीसी 37 फीट 6 इंच।	26.06.2026 रु. 18,13,773/- (मात्र अठारह लाख तेरह हजार सात सौ तिहत्तर रुपए) जैसे 16/06/2026 तक	28.10.2026

स्थान: गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
तिथि: 31.10.2026

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी
यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

SURYODAY | **सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड CIN: L65923MH2008PLC261472.**
पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय: 1101, शारदा टेरेस, प्लॉट 65, सेक्टर-11 सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ पठित सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्ति की बिक्री के लिए 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना।

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूर्योदय लघु वित्त बैंक लिमिटेड (बाद में 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे उल्लिखित संपत्तियों (इसके बाद 'सुरक्षित संपत्ति' के रूप में संदर्भित) का कब्जा ले लिया है और नीचे उल्लिखित ग्राहकों को दिए गए गृह ऋण / संपत्ति के बदले ऋण सुविधाओं के संबंध में सुरक्षा के रूप में रखा है (इसके बाद इसे 'कंपनी' कहा जाएगा) 'उधारकर्ता' और आगे यह निर्णय लिया गया है कि सुरक्षित ऋण के संबंध में जनता से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करके 'जैसा है, जहां है', 'जैसा है', 'जो कुछ भी है' और 'कोई सहारा नहीं' आधार/शर्तों पर, उधारकर्ताओं से अतिदेय के अंतिम भुगतान तक अतिरिक्त ब्याज और उस पर खर्च के साथ नीचे दी गई राशि के साथ सुरक्षित संपत्ति को बेचने का निर्णय लिया गया है।

क्र. सं.	उधारकर्ताओं का नाम एवं LAN	कब्जा की किस्म एवं तिथि	13 (2) डिमांड नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
1.	**Lan No. 237000000633** **1) श्री जोगिंदर सैनी पुत्र श्याम लाल सैनी,** **2) श्रीमती मीनाक्षी पत्नी जोगिंदर सैनी।**	भौतिक कब्जा 15.10.2025	20.04.2025 एवं रु. 73,30,615.83	1. फ्लैट नं. 002- रु. 10,00,000/-	रु. 1,00,000/-
				2. फ्लैट नं. 003- रु. 10,00,000/-	रु. 1,00,000/-
				3. फ्लैट नं. 102- रु. 10,00,000/-	रु. 1,00,000/-
				4. फ्लैट नं. 103- रु. 10,00,000/-	रु. 1,00,000/-
				5. फ्लैट नं. 301- रु. 11,79,104/-	रु. 1,17,910.4/-
				6. फ्लैट नं. 302- रु. 10,00,000/-	रु. 1,00,000/-
				7. फ्लैट नं. 303- रु. 10,00,000/-	रु. 1,00,000/-

संपत्ति का विवरण: सम्पत्ति माप 110 वर्ग गज की संपत्ति, कवर्ड एरिया 3900 वर्ग फुट, 1. फ्लैट नंबर यूजी-002 एडी. माप 410 वर्ग फुट, 2. यूजी-003 एडी. माप 410 वर्ग फुट, 3. 102 एडी माप 410 वर्ग फुट, 4. 103 एडी. माप 410 वर्ग फुट, 5. 301 एडी. माप 486 वर्ग फुट, 6. 302 एडी. माप 410 वर्ग फुट, 7. 303 एडी. माप 410 वर्ग फुट। यह संपत्ति खसरा नंबर 5834/105 11193/5835/105 के अंतर्गत आती है। यह गाँव गुड़गाँव गांव, अब राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम, हरियाणा के नाम से जाना जाता है में स्थित है। सीमाएँ: पूर्व में 15 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम में- 29 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर में- अन्य की संपत्ति, और दक्षिण में-मकान नंबर 1 है।

निरीक्षण की तिथि और समय: 28 अक्टूबर 2026 और 16 नवंबर 2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक।
नीलामी की तिथि: 20 नवंबर 2026, सुबह 10:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक। बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 16 नवंबर 2026। बिक्री का स्थान: ऑनलाइन।

सार्वजनिक नीलामी की तिथि एवं समय: 1. संपत्तियों को बैंक की देखरेख में बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया (पी) लिमिटेड के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा। 2. ई-नीलामी निविदा दस्तावेज़ जिसमें ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें शामिल हैं, वेबसाइट www.bankeauctions.com पर उपलब्ध हैं। 3. निविदा दस्तावेज़ में दिए गए निर्धारित प्रारूप में बोलियां https://www.bankeauctions.com के पोर्टल के माध्यम से 'ऑनलाइन' प्रस्तुत की जाएंगी। अन्यथा प्रस्तुत की गई बोलियां विचार के योग्य नहीं होंगी। 4. ईएमडी और अन्य जमा ऊपर निर्दिष्ट अनुसार ईएफटी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में भेजे जाएंगे। 5. ईएमडी के बिना बोली फॉर्म को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। 6. बोली वृद्धि/गुणक रु. 10000/- होगी। 7. ऑनलाइन नीलामी बिक्री ऊपर बताए गए समय पर स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगी। नीलामी/बोली का समय शुरू में एक घंटे की अवधि के लिए होगा और बिक्री समाप्त होने तक प्रत्येक में पांच मिनट का स्वचालित समय विस्तार होगा। 8. नीलामी/बोली मेसर्स सी1इंडिया (पी) लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन बोली होगी। 9. निर्दिष्ट तिथि और समय पर ई-नीलामी तक पहुंच के लिए पात्र संभावित बोलीदाताओं को उपयोगकर्ता नाम/पासवर्ड से परिचित कराने और आवंटन के लिए मेसर्स सी1इंडिया (पी) लिमिटेड द्वारा डेमो ई-नीलामी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। 10. संपत्तियां सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेची जाएंगी। सफल बोलीदाता को उसके पक्ष में बिक्री की पुष्टि होने पर बोली राशि का 25 प्रतिशत (ईएमडी घटाकर) तुरंत जमा करना होगा और शेष राशि नीलामी बिक्री की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। 11. बिक्री प्रमाणपत्र पूरी बोली राशि और अन्य शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के बाद केवल सफल बोली लगाने वाले/आवेदन(आवेदनों) के नाम पर जारी किया जाएगा। 12. सफल बोलीदाता को वाहन के लिए देय शुल्क/शुल्क जैसे पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, आदि, जो कानून के अनुसार लागू हो, वहन करना होगा। 13. प्राधिकृत अधिकारी को बोली स्वीकार करने या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित करने या रद्द करने, जैसा भी मामला हो, का पूर्ण अधिकार है। 14. संपत्तियां आम तौर पर 'जैसा है जहां है' के आधार पर और 'जैसा है जो है के आधार पर' शर्त पर बेची जाती हैं। खरीददारों को नीलामी में भाग लेने से पहले उधारकर्ता की किसी भी वैधानिक, देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। 15. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी ईएफटी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से उनके द्वारा बोली फॉर्म में दिए गए बैंक खाते के विवरण पर वापस कर दी जाएगी और उनकी ईमेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा। 16. संभावित बोलीदाता ऊपर उल्लिखित तिथि और समय पर संपत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं। 17. इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को ईएमडी की राशि जमा करनी होगी और अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पंजीकृत करना होगा और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा और मेसर्स से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। मैसर्स सी1 इंडिया (पी) लिमिटेड, हरियाणा (91-7291981124/25/26) बोलीदाताओं को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र रखना होगा और साइट पर उपलब्ध नीलामी आवेदन पत्र में विवरण प्रस्तुत करना होगा।

बिक्री की अन्य शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सीबीडी बेलापुर से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल: श्री मोहित सिंह- 9582050503/ श्री अमित अग्रवाल- 9717792407 या बैंक द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया (पी) लिमिटेड, फोन/मोबाइल नंबर 91-7418281709, (या) ईमेल support@bankeauctions.com || tn@c1india.com. के माध्यम से।

स्थान: हरियाणा, तिथि: 31.10.2026 **हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, कृते सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

प्रतीकात्मक कब्जा सूचना

ICICI Home Finance | **पंजीकृत कार्यालय:** आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्ज, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400051

कॉरपोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400059
शाखा कार्यालय: प्रथम मंजिल, एससीओ नं. 89, सेक्टर-16, शॉपिंग सेंटर ऑफ अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद-121002
शाखा कार्यालय: ग्राउंड फ्लोर, बी-1/4, कम्युनिटी सैंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

जैसा कि

निम्न जारी ऋणदाताओं पर जारी डिमांड सूचना सिक्योरिटी इंटरस्ट (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ी जाती धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सिक्योरिटी इंटरस्ट अधिनियम 2002 की वित्तीय संपत्तियां और प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण, विनिर्माण के अन्तर्गत आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी अधोहस्ताक्षरी सूचना में जारी रकम की पुन: अदायगी करने के लिए उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहते हैं।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण और ऋणदाता सूचित रकम की पुन: अदायगी करने में यदि असफल रहता है तो अधोहस्ताक्षरी निम्न जारी तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़े जाते उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उसके/उसकी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निर्धारित सम्पत्ति का कब्जा करेंगे। विवरणों में ऋणदाता और सर्व साधारण को एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ डील करने वालों को सूचित किया जाता है कि आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के चार्ज के विषय पर सम्पत्ति के साथ कोई डीलिंग न की जाए।

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणदाता/सह-ऋणदाता का नाम/ऋण खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण/ कब्जा की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में रकम (रु.)	शाखा का नाम
1.	एटेरो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (ऋणदाता), मुनीश कुमार मनचंदा (सह-ऋणदाता), रुचिका मनचंदा (सह-ऋणदाता), ए 108 ग्राउंड फ्लोर, रामा पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली-110059, LHFDB0000 1465191	प्लाट नं. 62 (क्षेत्र माप 50 वर्ग गज) एवं 63 (क्षेत्र माप 100 वर्ग गज) खसरा नं. 518, रेवेन्यू एस्टेट के गांव नवादा में स्थित, दिल्ली स्टेट एवं ब्लॉक बी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में रामा पार्क के नाम से जानी जाने वाली कॉलोनी, कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग गज। (यानि 125.41 वर्ग मीटर) घिरा- उत्तर द्वारा- प्लॉट नंबर 62 का हिस्सा, दक्षिण द्वारा- प्लॉट नंबर 63 का हिस्सा, पूर्व द्वारा- लेन 15 फीट, पश्चिम द्वारा- सड़क 30 फीट/ कब्जे की तिथि 27-अक्टूबर-26.	13.08.2026 रु. 2,94,009/-	फरीदाबाद
2.	एटेरो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (ऋणदाता), मुनीश कुमार मनचंदा (सह-ऋणदाता), रुचिका मनचंदा (सह-ऋणदाता), ए 108 ग्राउंड फ्लोर, रामा पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली-110059, LHFDB0000 1480149	प्लॉट नंबर आर-195 (क्षेत्र 100 वर्ग गज) आर-196 (20 वर्ग गज)। अपर ग्राउंड फ्लोर (फ्रंट लैफ्ट हैंड साइड) प्रथम मंजिल (फ्रंट लैफ्ट हैंड साइड), द्वितीय मंजिल (फ्रंट लैफ्ट हैंड साइड), तृतीय मंजिल (फ्रंट लैफ्ट हैंड साइड), खसरा नं. 63/5, रेवेन्यू एस्टेट के गांव हस्तसाल, दिल्ली स्टेट में स्थित, कालोनी अब मोहन गार्डन ब्लॉक-आर, उत्तम नगर-110059 से जानी जाती है, सीमाएं:- सम्पत्ति नं. आर-195 अनुसार, पूर्व- प्लाट नं. 196, पश्चिम-प्लाट नं. 195, उत्तर-रोड 20 फीट, दक्षिण-लेन 10 फीट, सीमाएं:- सम्पत्ति नं. आर-196 अनुसार, पूर्व प्लाट नं. 197, पश्चिम-प्लाट नं. 195, उत्तर- रोड 20 फीट, दक्षिण- लेन 10 फीट/ कब्जे की तिथि 27 अक्टूबर-26	13.08.2026 रु. 45,26,806.02-	फरीदाबाद
3.	मुनीश कुमार मनचंदा (ऋणदाता), एटेरो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (सह-ऋणदाता), रुचिका मनचंदा (सह-उधारकर्ता), ए 108 ग्राउंड फ्लोर, रामा पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली 110059, LHDWJ0000 1521253	प्लाट नं. आर-159, अपर ग्राउंड फ्लोर (फ्रंट साइड), द्वितीय मंजिल, (फ्रंट साइड एवं बैक साइड), तृतीय मंजिल (फ्रंट साइड), खसरा नं. 60/16, रेवेन्यू एस्टेट के गांव हस्तसाल में स्थित, दिल्ली एस्टेट एवं कालोनी अब मोहन गार्डन ब्लॉक आर, उत्तम नगर, दिल्ली-110059 से जानी जाती है, क्षेत्र माप 115 वर्ग गज, सीमाए:- उत्तर- रोड 15 फीट, दक्षिण- रोड 20 फीट, पूर्व-अन्य प्लाट, पश्चिम अन्य प्लाट/ कब्जे की तिथि 27 अक्टूबर-26	13.08.2026 रु. 40,98,500.48/-	वैस्ट दिल्ली जनक पुरी

उपरोक्त जारी ऋणदाताओं (ें)/जमानतदार(ें) सिक्योरिटी इंटरस्ट (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियमों 8 और 9 के अन्तर्गत प्रावधानों अनुसार इस सूचना की विज्ञप्ति की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति पर बिक्री गिरवी सम्पत्तियों की रकम की पुन: अदायगी की सूचना 30 दिनों में एतद् द्वारा की जाने के लिए कहा जाता है।

तिथि: अक्टूबर 31, 2026
स्थान: दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

epaper.uttamhindu.com uttamhindutv dailyuttamhindu@gmail.com
dailyuttamhindutv dailyuttamhindu @dailyuttamhindu

सत्ता में कांग्रेस जनता के लिए खतरनाक, सत्ता से बाहर देश के लिए नुकसानदायक : सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने 'पीएम-किसान उत्सव दिवस' कार्यक्रम में किया संबोधित

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

देहरादून (स्वप्निल) : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में आयोजित 'पीएम-किसान उत्सव दिवस' कार्यक्रम में किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता मिलने पर बधाई दी। वहीं, एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया ब्लॉक की रैली को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधा।

मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो जनता के लिए खतरनाक होती है और जब सत्ता से बाहर होती है तो देश के लिए नुकसानदायक साबित होती है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी कांग्रेस को लेकर यही बात कहा करते थे।

धामी ने विपक्ष के धरना-प्रदर्शन और आंदोलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि त्योहारों का समय है। नवरात्रि के बाद अब दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, ऐसे समय



में धरना-प्रदर्शन और आंदोलन किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट कटने के मुद्दे को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति पात्र नहीं है तो उसका नाम मतदाता सूची में क्यों होना चाहिए? एक ही व्यक्ति का वोट तीन जगह कैसे हो सकता है?

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष ऐसे मुद्दों के जरिए अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे व्यापारियों और आम लोगों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने विदेशी ताकतों से भी सतर्क रहने की अपील की और कहा कि देश में अराजकता फैलाकर सत्ता परिवर्तन जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिशों से सावधान रहना जरूरी है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2019 में पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया था। पहले की सरकारों ने किसानों की मेहनत और कठिन परिस्थितियों को वह सम्मान नहीं दिया, जिसके वे हकदार थे। जब इस योजना की पहली किस्त जारी हुई थी, तब उत्तराखंड के 4 लाख किसानों को इसका लाभ मिला था। पिछले करीब सात वर्षों में लाभार्थी किसानों की संख्या दोगुनी होकर आठ लाख से अधिक हो गई है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि राज्य सरकार की योजनाओं के प्रति किसानों के बढ़ते भरोसे और पारदर्शी व्यवस्था का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा किसानों के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री द्वारा योजना की 24वीं किस्त जारी किए जाने के अवसर पर देशभर के किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे सहायता राशि पहुंचाई गई।

धामी ने कहा कि यदि आज देश सुरक्षित है तो इसका श्रेय सीमाओं पर तैनात जवानों को जाता है। वहीं, देश में अनाज का पर्याप्त भंडार किसानों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। किसान केवल फसल नहीं उगाता, बल्कि अपनी मेहनत से पूरे देश के भविष्य को सींचता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार बजट में करोड़ों रुपए का प्रावधान कर रही है। कृषि व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पारंपरिक खेती के साथ-साथ वैज्ञानिक और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाना जरूरी है।

उन्होंने किसानों से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने और खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल करने की अपील की। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस वर्ष चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 63 लाख के पार पहुंच चुकी है। राज्य में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले को लेकर भी सरकार भव्य और व्यापक तैयारियां कर रही है।

तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो लागू करेंगे यूसीसी : अमित शाह

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी सक्रियता तेज कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने लखनऊ में पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का उद्घाटन किया। उन्होंने डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के सभागार में दीप प्रज्ज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री, और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो यूसीसी लागू करेंगे।

बैठक को संबोधित करते हुए



अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जोश भरते हुए लगातार तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत नाराजगी और आकांक्षाओं को पीछे छोड़कर संगठन की मजबूती के लिए जुटने तथा आगामी विधानसभा चुनाव को अपना चुनाव मानकर पूरी ताकत लगाने का आह्वान किया। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की निरर्थक बयानबाजी का जवाब भाजपा 2027 में अपनी सरकार बनाकर देगी।

कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि सभी अपनी नाराजगी गोमती नदी में डालकर जाएं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को अंगद का पैर बनाए रखना है। चुनाव के दौरान वह बार-बार कार्यकर्ताओं के बीच आएंगे और उनके कामकाज का हिसाब भी पूछेंगे। इसलिए सभी अपना बही-खाता दुरुस्त रखें। अमित शाह ने कहा कि सरकार की उपलब्धियां अपनी जगह हैं, लेकिन पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका कार्यकर्ता है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने विकास के लिए व्यापक काम किए हैं। अब इन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संगठन की है। कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव को अपना चुनाव समझकर मैदान में उतरें और परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए 2027 में भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लें।

आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएगा उत्तराखंड

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने सभी जिलों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करें, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे अक्टूबर के लिए निर्धारित सभी कार्यक्रमों का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम और दिशानिर्देशों के अनुसार करें। इस निर्देश में विशेष रूप से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय एकता की शपथ, परेड, एकता के लिए दौड़ और अन्य संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को याद करना और राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समर्पण के मूल्यों को सुदृढ़ करना है। संबंधित अधिकारियों को संबोधित इस पत्र में भारत सरकार के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के पत्र के साथ-साथ उत्तराखंड सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 30 अक्टूबर, 2025 को जारी किए गए एक पूर्व पत्र का भी उल्लेख किया गया है। इस सूचना के मुताबिक, सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उत्तराखंड के सभी जिलों में अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2026 तक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वर्ष भर चलने वाले इन कार्यक्रमों का उद्देश्य देश की स्वतंत्रता, एकता और समर्पण की भावना को संरक्षित और मजबूत करना था। नवीनतम निर्देश में अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि अक्टूबर 2026 के लिए निर्धारित कार्यक्रम निर्धारित समय पर और निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किए जाएं। राज्य सरकार ने अधिकारियों को कार्यक्रमों के समापन के बाद एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। जिला और विभागीय स्तर पर आयोजित गतिविधियों को शामिल करने वाली यह रिपोर्ट सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव को भेजी जानी चाहिए, जिसकी एक प्रति उत्तराखंड सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को भी भेजी जानी चाहिए। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विरासत को सम्मान देने और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के महत्व को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है।

केदारनाथ यात्रा पर सारा अली खान को निशाना बनाना गलत : स्वामी चिदानंद

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

हरिद्वार : परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने शुक्रवार को उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में प्रार्थना करने को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान के खिलाफ एक मुस्लिम धर्मगुरु द्वारा जारी फतवे का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किए जाने चाहिए जो 'सदुण के मार्ग' पर चल रहा हो।

अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सारा अली खान के खिलाफ उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में



उनकी यात्रा और प्रार्थना को शरिया कानून के तहत 'हराम' और 'नाजायज' घोषित किया है। हरिद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए स्वामी सरस्वती ने कहा कि मेरा मानना है कि किसी के भी खिलाफ फतवे जारी नहीं किए जाने चाहिए। अगर किसी ने पाप किया है, तो चिंता समझ में आती है। लेकिन सदुण के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी करना समझ से परे है।

उन्होंने कहा कि मुझे सारी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी अच्छा काम करता है, सकारात्मक मार्ग अपनाता है, समाज के कल्याण के लिए काम करता है, या दूसरों की मदद करता है, उसकी सराहना की जानी चाहिए, न कि उसे 'फतवों' से निशाना बनाया जाना चाहिए। इस बीच, अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि यह मुस्लिम धर्मगुरुओं का मामला है। वे अपनी समुदाय की महिलाओं को (मंदिरों में जाने से) रोक सकते हैं।

हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि इस्लाम मानता है कि मुस्लिम लड़कों को हमारे डांडिया उत्सव में भाग लेना चाहिए, तो केवल लड़के ही क्यों? उनके पूरे परिवार क्यों नहीं भाग ले सकते? उनकी बेटियां भी क्यों नहीं शामिल हो सकतीं? संत ने मद्रास हाई कोर्ट में उस फैसले का हवाला भी दिया जिसमें कहा गया है कि आगमिक हिंदू मंदिर पर्यटन स्थल नहीं बल्कि तीर्थस्थल हैं। उन्होंने कहा कि सारा अली खान के मामले में... लोग आस्था रखने पर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी आस्था प्रदर्शित करनी होगी।

गौरतलब है कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने फैसला सुनाया है कि अन्य धर्मों के धार्मिक चिन्ह धारण करने वाले और संबंधित देवता के प्रति श्रद्धा व्यक्त न करने वाले गैर-हिंदुओं को आगमिक मंदिरों के परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे ध्वज स्तंभ के आसपास के क्षेत्रों से परे मौजूदा प्रतिबंधों का विस्तार हुआ है। गुरुवार को, बॉलीवुड अभिनेत्री को 'फतवा' जारी करने वाले मौलाना बरेलवी ने अपने फैसले का बचाव किया।

पूर्वी उत्तर प्रदेश, लखनऊ-रायबरेली व उन्नाव में 1 नवंबर से होगी धान खरीद

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

लखनऊ : खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के संभागों में पहली नवंबर से धान खरीद होगी, जो 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि भी की है। धान (कॉमन) का एमएसपी 2441 और (ग्रेड ए) का 2461 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों को कोई परेशानी न हो, उनके लिए हर आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। उत्तर प्रदेश ने पिछली बार भी सर्वाधिक 62 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया था। इस बार इसमें और वृद्धि की गई है। 8 क्रय एजेंसियों से 4500 क्रय केंद्रों के माध्यम से 65 लाख मीट्रिक टन खरीद होगी। इसके सापेक्ष शुक्रवार तक 4195



क्रय केंद्र खोले जा चुके हैं।

सीएम योगी ने 48 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से किसानों को भुगतान के भी निर्देश दिए हैं। बिचौलियों का हस्तक्षेप न रहे, इसलिए सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है। वहीं, उतराई, छनाई व सफाई के लिए किसानों को अलग से 20 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि क्रय केंद्रों पर बिक्री के लिए आने वाले किसानों को किसी भी सूरत में परेशानी नहीं होनी चाहिए। मौसम को देखते हुए उनके लिए छाया, पानी व बैठने समेत हर जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं।पूर्वी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर व प्रयागराज संभाग में धान खरीद शुरू होगी। इसके साथ ही लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली व उन्नाव में भी पहली नवंबर से खरीद होगी, जो 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। सरकार की धान क्रय नीति पर विश्वास जताते हुए अब तक 38 हजार से अधिक किसानों ने खरीद के लिए पंजीकरण करा लिया है। जिन किसानों ने धान बिक्री के लिए अभी तक पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराया है, वे एफसीए डॉटयूपीडॉटगॉवडॉटइन या यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण-नवीनीकरण करा सकते हैं। धान बिक्री के दौरान यदि कोई समस्या होती है तो किसान टोल फ्री नंबर 18001800150 पर जानकारी दे सकते हैं। इसका निस्तारण अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा।

बदलते मौसम को देखते हुए अलर्ट पर रहें अधिकारी : धामी

देहरादून/स्वप्निल सिन्हा : उत्तराखंड में मौसम विभाग ने विभिन्न जनपदों के लिए जारी ऑरेंज और येलो अलर्ट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए सभी जनपदों में आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियां पूरी रखी जाएं तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून ने 30 अक्टूबर को जारी पूर्वानुमान के अनुसार नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं चमोली जनपदों में कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि एवं झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना के दृष्टिगत ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल एवं चंपावत में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना भी व्यक्त की गई है। प्रदेश के अन्य जनपदों में भी गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

भाजपा की असली पूंजी सत्ता नहीं, कार्यकर्त्ता हैं : पंकज चौधरी

उत्तम हिन्दू न्यू नेटवर्क

लखनऊ : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाना है। शुक्रवार को लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में अपने अध्यक्षीय संबोधन में पंकज चौधरी ने कहा कि यह बैठक केवल औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि संगठन की ताकत का आकलन करने, सरकार की उपलब्धियों की समीक्षा करने और भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने का अवसर है। पार्टी नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ 2027 के महासंग्राम में विजय का शंखनाद करने के लिए एकत्र हुई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले हो रही यह पहली प्रदेश कार्यसमिति संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 14 जुलाई को इसी सभागार में कार्यकर्ता एकत्र हुए थे, लेकिन



संगठनात्मक पुनर्गठन के बाद इस बैठक में नई प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य नई जिम्मेदारियों के साथ शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन और सबसे बड़ी पूंजी उसके कार्यकर्ता हैं। पार्टी की सफलता सत्ता से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और निरंतर परिश्रम से तय होती है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने, नियमित बैठक करने और युवाओं, महिलाओं तथा नए मतदाताओं के बीच संगठन का विस्तार करने का आह्वान किया। पंकज चौधरी ने कहा कि 2027 का चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि संगठनात्मक एकजुटता, जनसंवाद और सरकार के कामकाज की भी परीक्षा होगा। चुनाव की तैयारी कुछ महीने पहले नहीं, बल्कि निरंतर जनता के बीच रहकर होती है। जनप्रतिनिधियों को संगठन के साथ नियमित संवाद बनाए रखना चाहिए और जनता की समस्याएं सुनकर उनके समाधान को प्राथमिकता देनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच मजबूत समन्वय ही भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यकर्ताओं को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सामाजिक समरसता और सर्वसमावेशी विकास को पार्टी की कार्यशैली का हिस्सा बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया।

प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2027 का चुनाव विकास बनाम विनाश और राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद की लड़ाई होगा। विपक्ष भ्रम और नकारात्मक आरोपों की राजनीति कर रहा है, जबकि भाजपा को अपनी उपलब्धियों और नीतियों के आधार पर जनता के बीच जाना है। उन्होंने पदाधिकारियों से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर संगठन की प्रतिष्ठा और अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की।

दून में अवैध और अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध एमडीडीए की कड़ी कार्रवाई

■ अवैध निर्माण करने वालों संभल जाए, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई : बंशीधर तिवारी

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

देहरादून/स्वप्निल : राजधानी देहरादून में अवैध और अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध अभियान जारी रखते हुए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने मसूरी और देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में सात स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की ओर से यह कार्रवाई बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमति के किए जा रहे निर्माणों के विरुद्ध की गई। इस अभियान के तहत मसूरी में घंटाघर रोड स्थित होटल गोल्डन हैवन के निकट पूर्व निर्मित भवन में बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माण को सील किया गया। वहीं, संस्कृति लोक कॉलोनी में बिना आवश्यक स्वीकृति के किए जा रहे दो व्यावसायिक निर्माणों तथा इसी कॉलोनी की लेन नंबर-1 में किए जा रहे एक अन्य अवैध व्यावसायिक



निर्माण के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई। वही इसी क्रम में टर्नर रोड क्षेत्र में बजाज डेयरी के निकट किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया। इसके अलावा ओगल भट्टा क्षेत्र में टर्नर रोड पर दो अन्य व्यावसायिक निर्माणों के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया गया।

साथ ही मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखते हुए देहरादून के जाखन स्थित इंजीनियर इन्क्लेव, राजपुर रोड पर एक निर्माण को सील किया। प्राधिकरण की ओर से यह कार्रवाई स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण के विरुद्ध की गई।

दून में सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों में निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानचित्र का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन कर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्माण के लिए निर्धारित मानकों एवं स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण किया जाना चाहिए। प्राधिकरण की टीमें लगातार विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की निगरानी कर रही हैं। निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में नियमानुसार वाद दर्ज करने के साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाती है। नियमों का पालन करने से न केवल अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है, बल्कि देहरादून के सुनियोजित विकास में भी सहयोग मिलेगा।

- बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष एमडीडीए।

क्रेशर मशीन की चपेट में आने से मजदूर घायल

मुरादनगर : **उत्तर** प्रदेश के मुरादनगर स्थित मिल्क रावली गांव में एक गन्ना क्रेशर पर काम करते समय एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मशीन की चपेट में आने से मजदूर मुनिराज के दोनों हाथों के पंजे कट गए। पीड़ित परिवार ने क्रेशर स्वामी पर इलाज और आर्थिक मदद न देने का आरोप लगाया है। जनपद बिजनौर की नजीबाबाद तहसील के मंडावली गांव निवासी मुनिराज अपनी पत्नी शिखा और दो बच्चों के साथ मिल्क रावली गांव में रहते हैं। वह इसी गांव में स्थित एक गन्ना क्रेशर पर मजदूरी का काम करते हैं। मुनिराज ने बताया कि यह घटना 18 अक्तूबर को हुई थी। उस दिन वह क्रेशर की मशीन में गन्ना लगा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान क्रेशर स्वामी ने अचानक मशीन चालू कर दी। इससे उनके दोनों हाथ मशीन की चपेट में आ गए। इस हादसे में मुनिराज के दोनों हाथों के पंजे कट गए। उन्हें गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया था। मुनिराज का आरोप है कि अस्पताल से लौटने के दो दिन पहले उन्होंने क्रेशर स्वामी से मुआवजे की मांग की। यह मुआवजा उन्होंने अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए मांगा था। इस पर क्रेशर स्वामी ने उनके साथ अभद्रता की। क्रेशर स्वामी ने मुनिराज के साथ मारपीट भी की। उन्हें वहां से भगा दिया गया। पीड़ित मुनिराज ने इस मामले में थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने पुलिस से क्रेशर स्वामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।

यूपी परिवहन निगम दीपावली-छठ पर चलाएगा अतिरिक्त बसें

चालकों-परिचालकों को मिलेगा 4800 रुपये तक प्रोत्साहन

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

लखनऊ : दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने छह से 17 नवंबर तक प्रदेश में अधिक से अधिक बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से पूर्वांचल के साथ ही लखनऊ और कानपुर के लिए भी अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है।

परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस अवधि में निगम की सभी बसों को सड़क पर उतारा जाए। हालांकि, अनफिट बसों का संचालन नहीं होगा। बसों की मरम्मत और जरूरी कलपुर्जों की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित करने को कहा गया है। त्योहार के दौरान अधिकारियों और



कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों को छोड़कर छुट्टी नहीं दी जाएगी। बस अड्डों पर साफ-सफाई, पीने के पानी, बैठने, डिजिटल समय सारिणी और सहायता केंद्र की व्यवस्था भी की जाएगी।

परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि 11 दिन ड्यूटी करने वाले चालकों और परिचालकों को 4400 रुपये तथा 12 दिन ड्यूटी करने पर 4800 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए प्रतिदिन औसतन 300 किलोमीटर बस चलाना अनिवार्य होगा। संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निर्धारित दूरी से अधिक संचालन पर 55 पैसे प्रति अतिरिक्त किलोमीटर भी मिलेंगे।

इलेक्ट्रिक बसों पर 11 दिन में 3300 किलोमीटर संचालन करने वाले चालकों को करीब एक हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। कार्यशाला के कर्मचारियों को भी 11 दिन ड्यूटी पर 2100 और 12 दिन ड्यूटी पर 2500 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। परिवहन निगम दिल्ली से लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या और कानपुर के लिए अतिरिक्त बसें चलाएगा। इसके अलावा गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और इटावा के लिए भी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। चालकों और परिचालकों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच होगी, ताकि नशे की हालत में कोई चालक बस न चलाए।